



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)
CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

प्रो. मनीष
कुलसचिव (प्रभारी)

स्पीड पोस्ट/रजि. डाक/हाथ द्वारा

F.No. 55-102/2021-22/A&A/995

दिनांक: 23.01.2023

सेवा में,
डॉ. चारु लता दूबे
सहायक आचार्य
सूक्ष्म विज्ञान संस्थान
गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय

विषय: विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित करने के संदर्भ में।
संदर्भ: माननीय कुलपति द्वारा 19.01.2023 को अनुमोदित।


महोदया,

उपरोक्त वर्णित विषय पर दिनांक 13.01.2023 के आपके पत्र के संदर्भ में, आपको यह सूचना दी जाती है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपको 24 जनवरी 2023 को "माइक्रोवेव हीटिंग: एन एनर्जी एफ़िशीएंट टेक्नीक टू ऑल्टर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स रेनजिंग फ्रॉम बल्क टू नैनोमटेरियल स विथ स्पेशल एम्फसिस ऑन ग्लास" विषय पर विशेषज्ञ व्याख्यान हेतु अनुमति प्रदान कर दी गई है। यह व्याख्यान डॉ. आशीष मण्डल, वरिष्ठ प्रमुख वैज्ञानिक, विशिष्टता काँच प्रभाग, केन्द्रीय काँच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान, कोलकाता द्वारा दिया जाएगा।

साथ ही, विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार मानदेय भी स्वीकृत किया गया है।

यह पत्र आपकी जानकारी और आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु है।

सादर,


कुलसचिव (प्रभारी)

प्रति (ईमेल द्वारा):

1. अधिष्ठाता, सूक्ष्म विज्ञान संस्थान
2. उप कुलसचिव (अकादमिक)
3. सहायक कुलसचिव (अकादमिक)
4. प्रशासनिक एवं प्राधिकारी प्रभाग
5. कुलपति सचिवालय